बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या–04यो0–08/2018–19 – 119 /कृ०, पटना, दिनांक–03/10/2018

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ राय,
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना।**(+)
से परामर्शित।

विषय : **दियारा विकास योजना का वित्तीय वर्ष 2018–19 में 1243.7200 लाख (बारह करोड़ तेतालीस लाख बहत्तर हजार) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

निदेशानुसार दियारा विकास योजना का वित्तीय वर्ष 2018–19 में 1243.7200 लाख (बारह करोड़ तेतालीस लाख बहत्तर हजार) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना में कार्यान्वयन राज्य के कुल– 30 जिलों में यथा बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णियाँ, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी, सारण, सिवान, गोपालगंज, गया, अरवल, नवादा, जहानाबाद एवं औरंगाबाद में किया जायेगा। जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य का विवरणी अनुसूची–2 के रूप में संलग्न है। योजना का आकार एवं अनुदान दर संबंधित घटकवार विवरणी अनुसूची–1 के रूप में संलग्न है।

3. योजना के अधीन गोर्डस समूह की सब्जियाँ एवं मेलनस के शंकर किस्म के बीज वितरण के कार्यक्रम चलाये जाएगें। मटर के उन्नत/शंकर प्रभेद के बीज वितरण के भी कार्यक्रम चलाये जायेंगे। अधिक उत्पादन एवं उत्पादकता के लिए शंकर किस्म के बीज वितरण के कार्यक्रम चलाये जायेंगे। अनुमान्य अनुदान दर का निर्धारण दिनांक– 27.04.2018 को विभागीय यूनिट कॉस्ट कमिटी द्वारा किया गया है।

4. सब्जियों के अधिक उत्पादन के लिए शंकर/उन्नत किस्म के बीज किसानों को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जायेगा। अनुमान्य बीज की खरीद किसान स्वंय करेंगे। गोर्डस समूह की सब्जियाँ एवं मेलनस के शंकर किस्म के बीज के क्रय पर मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 8000.00 रू० प्रति हे० किसानों को सहायतानुदान RTGS/DBT के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। मटर के उन्नत/शंकर बीज के क्रय पर किसानों को मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 7000.00 रू० प्रति हे० किसानों को RTGS/DBT के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। एक किसान को अधिकतम एक एकड़ क्षेत्र के लिए बीज उपलब्ध कराया जायेगा। शिविर में बीज की उपलब्धता के लिए पर्याप्त संख्या में विक्रेताओं को आमंत्रित किया जायेगा।

5. मटर बीज की उपलब्धता नेशनल सीड कॉरपोरेशन/बिहार राज्य बीज निगम लि० से की जायेगी।

6. गोर्डस समूह की सब्जियाँ एवं मेलनस के शंकर प्रभेद किसानों के रूझान एवं उत्पादन क्षमता को देखते हुए नेशनल सीड कॉरपोरेशन/बिहार राज्य बीज निगम लि० से की जायेगी।

DellG:\Diara Sanction Order 2018-19.docx   Md. AfaqueAlam

7. परवल के 4000 पौध प्रति हेक्टेयर किसानों को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जायेंगे। परवल के उन्नत किस्म के पौध के क्रय पर मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 24000.00 रू० प्रति हे० किसानों को अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा सरकारी/निजी निबंधित परवल नर्सरी को चिन्हित कर शिविर में आमंत्रित करेंगे तथा किसान शिविर में परवल के पौध क्रय करेंगे एवं अनुदान राशि का भुगतान RTGS/DBT के माध्यम से किसानों को किया जायेगा। सरकारी/निजी निबंधित परवल नर्सरी जिला/जिला के बाहर के भी हो सकते हैं।

8. दियारा क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा के विकास के लिए पी०भी०सी० पाईप बोरिंग के लिए लागत का 50 प्रतिशत (100 फीट हेतु) अधिकतम 9,000.00 (नौ हजार) रू० प्रति यूनिट अनुदान देय है। इस योजना का कार्यान्वयन कलस्टर में किया जायेगा। ईच्छुक कृषकों से आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। चुने गये ईच्छुक कृषकों को जिला कृषि पदाधिकारी/इनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा स्वीकृति पत्र निर्गत किये जायेंगे। पी०भी०सी०पाईप बोरिंग को सफलता पूर्वक चलने के उपरांत हीं अनुदान का भुगतान RTGS/DBT के द्वारा किया जायेगा तथा इसका चरणबद्ध फोटोग्राफ अभिलेखित किया जायेगा।

9. कृषकों को प्रशिक्षित करने एवं दियारा क्षेत्र के विकास के लिए उनके विचार जानने हेतु जिलास्तर पर प्रशिक्षण एवं सेमिनार आयोजित किया जायेगा।

10. योजना कार्यान्वयन के लिए संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे। राज्य स्तर पर योजनाओं के कार्यों का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु उप निदेशक (शष्य), टाल दियारा चौड़ विकास, बिहार, पटना उत्तरदायी होंगे। कृषि निदेशक, बिहार, पटना सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे। योजना अंतर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की सूची अनुसूची–3 संलग्न है।

11. वर्ष– 2018–19 के लिए बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि निम्नप्रकार है– (राशि लाख रू० में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष– 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, उप शीर्ष– 0106– इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, मांग संख्या–1, विपत्र कोड– 01– 2401001090106, विषय शीर्ष–0106.33.01 सब्सिडी	4316.00	1032.2876
मुख्य शीर्ष– 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष– 0106– इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, मांग संख्या–1, विपत्र कोड–01–2401007890106 विषय शीर्ष–0106.33.01 सब्सिडी	832.00	198.9952
मुख्य शीर्ष– 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उप शीर्ष– 0134–इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, मांग संख्या–1, विपत्र कोड– 01–2401007960134 विषय शीर्ष–0134.33.01 सब्सिडी	52.00	12.4372
कुल	**5200.00**	**1243.7200**

12. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 वि० दिनांक–31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना के कार्यान्वयन में विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा दिनांक–03.08.2018 को प्राप्त है तथा माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या–04यो0–08/2018–19 के पृ0सं0–18/टि० पर दिनांक–02.09.2018 को प्राप्त है।

13. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि०(2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

14. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–04यो0–C8/2018–19 के पृ0सं0–24/टि0 पर दिनांक–01.10.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

Rabindra
3.10.18

(रवीन्द्र नाथ राय),
विशेष सचिव,
कृषि विभाग,बिहार, पटना।

DellG:\Diara Sanction Order 2018-19.docx   Md. AfaqueAlam

ज्ञापांक–04यो0–08/2018–19 – 112 /कृ०, पटना, दिनांक– 03/10/2018

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rdeo 3.10.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–04यो०–08/2018–19 – 112 /कृ०, पटना, दिनांक– 03/10/2018

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rdeo 3.10.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–04यो०–08/2018–19 – 112 /कृ०, पटना, दिनांक– 03/10/2018

प्रतिलिपि : सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rdeo 3.10.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–04यो०–08/2018–19 – 112 /कृ०, पटना, दिनांक– 03/10/2018

प्रतिलिपि : सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rdeo 3.10.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–04यो०–08/2018–19 – 112 /कृ०, पटना, दिनांक– 03/10/2018

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, कृषि विभाग/कृषि निदेशक/निदेशक (उद्यान)/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०/संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य), टाल दियारा चौड़ विकास, बिहार, पटना/संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक (शष्य) सूचना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक के साथ विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु एवं संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार पदाधिकारी को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

Rdeo 3.10.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची–1

DIARA DEVELOPMENT SCHEME FOR 2018-19

SN	Item	Maximum Proposed Assistance	Target		Subsidy Percentage	Remark
			Phy (ha)	Fin. (Rs in Lakhs)		
1	**Hybrid Seed Distributions**					
a	Gourds Group & Melons	Rs.8000/ ha	10075	806.0000	50%	
2	**Variatal Improvement**					
a	Parwal	Rs. 24000/ha	288	69.1200	50%	
3	**Improve/Hybrid Seed Distributions**					
a	Pea	Rs. 7000/ ha	1155	80.8500	50%	
4	**Irrigation Facility**					
a	PVC Pipe Boring	Rs.9000/ Unit	2855	256.9500	50%	
5	District Level Saminar & Training	Rs. 30000/per	77	23.1000		
6	Contigency	-	0	7.7000		
	Total			**1243.7200**		

13/3/18

उप निदेशक (शष्य)
टाल दियारा चौड़ विकास
बिहार, पटना